

न्यायालय नायब तहसीलदार प्रीलका..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा.....  
बनान

अप्रार्थी :- श्री हरदीन | हस्ताल जाट नियारी झालरा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व  
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 35 / 2018  
निर्णय

दिनांक 27.6.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा में  
अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् 2075 में सरहद  
के खसरा नम्बर 302 नी. विराम गोपर में रकबा 0.01 ई. की भाूमि में पटवारी लगा  
कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज  
किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वलह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी  
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री  
..... ने दिनांक ..... को उपस्थित हाकर .....  
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट  
का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मांजा झालरा के खसरा नम्बर 302 विराम में गोपर  
में रकबा 0.01 ई. वाघ की भाूमि पर अतिक्रमण किया जाया जासकना से  
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा लगे अतिक्रमण भूमि पर दिये गये अतिक्रमण की मौजे से  
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 ..... रूपये एत 8 नी. की  
दर से अतिक्रमण रकबा 0.01 ई. की भाूमि का 0.08 रूपये लगान का 50 गुणा 4-  
...../- अक्षरे चार ..... रूपये वतार जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि  
तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे।  
पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मांके से भौतिक रूप से बेदखल कर  
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.6.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार प्रीलका